बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

पत्रांक— वन भूमि—39/2012 178(ई) /प०व०, पटना—15, दिनांक 29/03/2016

विषय :— सरकारी गैर वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या—43 (ई०) दिनांक—28.01.2013 की कंडिका—02 (**V**) के विलोपन के संबंध में।

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के पूर्व निर्गत संकल्प संख्या—43 (ई०), दिनांक 28.01.2013 के द्वारा सरकार गैर वन भूमि घोषित भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु निर्धारित दिशा—निर्देश की कंडिका—2 (v) में वर्णित " पातित होने वाले वृक्षों की संख्या—200 या उससे कम हो तो न्यूनतम 1000 पौधारोपण पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा क्षतिपूरक वनारोपण के तौर पर कराया जायेगा" को सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत व्यवहारिक एवं न्याय संगत नहीं पाया गया।

उक्त आलोक में उपरोक्त पूर्व संकल्प संख्या—43 (ई०), दिनांक 28.01.2013 की कंडिका—2 (v) को राज्य सरकार के द्वारा विलोपित किया जाता है। उपरोक्त संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : वन भूमि—39/2012 178(ई) /प०व०, पटना—15, दिनांक 29/3/16

प्रतिलिपि :— ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/—

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक : वन भूमि–39 / 2012 178(ई) / प०व०, पटना–15, दिनांक 29/03/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : वन भूमि–39 / 2012 178(ई) / प०व०, पटना–15, दिनांक 29/03/2016

प्रतिलिपि :– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / राज्यपाल के सचिव / सभी जिला पदाधिकारी / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : वन भूमि–39 / 2012 178(ई) / प०व०, पटना–15, दिनांक 29/03/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव